

Copy

CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN STUDIES
SARNATH, VARANASI.

CUTS-RTI-2018/Appeal-

Date. 11.10. 2018

To

Jagannath Singh, Shantarakshita Library, CIHTS, Sarnath, Varanasi

Subject. Response & Information sought by you vide your Appeal letter
dated 28.7.2018

Sri Jagannath Singh

In response to your Appeal letter mentioned above, I am forwarding you herewith
the information obtained from CIHTS Registrar Office as an Enclosure (17 pages)
including covering letter dated 29.9.2018

Date. 11.10.2018

J. Samten
Prof. Dr. Jampa Samten

गणेश
23/10/2018

सेवा में,

दिनांक:28-07-2018

श्रीमान् प्रथम अपीलीय अधिकारी जी
प्रो. जम्पा समतेन (प्रो. तिब्बती इतिहास)
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान
सारनाथ, वाराणसी (उ.प्र.)

विषय:- "जन सूचना अधिकार-2005 के अन्तर्गत भ्रामक व आधी-अधूरी सूचना प्राप्त होने के सम्बन्ध में"

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ने जन सूचना अधिकार-2005 के अन्तर्गत संस्थान के वित्त विभाग से सूचना मांगी थी दिनांक 24-07-2018 को आधी-अधूरी व भ्रामक अप्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो पूर्ण रूप से गलत है।

(1)जनसूचना अधिकार-2005 की धारा 8 (1) (J) के अन्तर्गत जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति के चिकित्सा से संबंधित कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। सूचना है।

(2)जी.एस.टी. से सम्बन्धित जानकारी हेतु संस्थान की बेवसाइट देखी जा सकती है। सूचना है।

अतः श्रीमान जी करवद्ध निवेदन है कि जन सूचना अधिकार-2005 के अन्तर्गत भ्रामक व आधा-अधूरी सूचना देकर व गोपनियता बताकर सूचना न देकर उच्च अधिकारीगण गुमराह किया गया है। कुछ सीमित ही लोग ही चिकित्सा बिल का लाभ ले रहे हैं। उनका नाम व बिल का प्रकाशित होना आवश्यक है। जो उच्च अधिकारीगण सामने प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का चिकित्सा बिल 16-03-2017 प्रस्तुत किया गया है। जी.एस.टी. संस्थान दिनांक 14-12-2017 को लगा है। पुनः पत्रावली देखकर क्रम संख्या 01 व 02 की सूचना देने का कष्ट करें।

प्रार्थी

(जगरनाथ सिंह) 28/07/18

शांतरक्षित ग्रंथालय
केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान,
सारनाथ, वाराणसी